

Recommendation

(वनग्राम -सुपलई भाग-IV , रकबा-79.939 हे0, कक्ष क्रं.-पी.एफ. 273

बीट- पथरई परिक्षेत्र-सोहागपुर)

01	<p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।</p>	<p>प्रस्तावित वन क्षेत्र का छत्र घनत्व 0.4 है। क्षेत्र में किसी संकटग्रस्त वन्यप्राणी का रहवास नहीं है। उक्त विस्थापन से आरक्षित क्षेत्र में काफी वनक्षेत्र वन्यप्राणी रहवास के रूप में उपलब्ध होगा। अतः उक्त व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	--	--

दिनांक :- 14.07.2021

स्थान :- होशंगाबाद

(लालजी मिश्रा)

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद

Recommendation

(सुपलई भाग-III , रकबा-100.000 हे०, कक्ष क्रं.-आर.एफ. 225
परिक्षेत्र-सोहागपुर)

01	<p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का बयौरा दिया जावे।</p>	<p>प्रस्तावित वन क्षेत्र का छत्र घनत्व 0.5 है। क्षेत्र में किसी संकटग्रस्त वन्यप्राणी का रहवास नहीं है। उक्त विस्थापन से आरक्षित क्षेत्र में काफी वनक्षेत्र वन्यप्राणी रहवास के रूप में उपलब्ध होगा। अतः उक्त व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	---	--

दिनांक :- 10.05.2021

स्थान :- होशंगाबाद

(लालजी मिश्रा)

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद

Recommendation

(सुपलई भाग-II ,रकबा-50.00 हे0, कक्ष क्रं.-पी.एफ.-179)

<p>01 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का बयौरा दिया जावे।</p>	<p>प्रस्तावित वन कक्ष पी.एफ.-179 में वर्ष 2018-19 में उर्जावन स्थापित किया गया था जिसमें अब तक 4.5 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। अतः उक्त राशि आवेदक विभाग द्वारा केम्पा मद में जमा कराने की शर्त पर उक्त व्यपवर्तन हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।</p>
--	--

दिनांक :-19.12.2020

स्थान :- होशंगाबाद


(लालजी मिश्रा)
वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद

Recommendation


(सुपलई भाग-1 ,रकबा-110.00 हे0, कक्ष क्रं.-पी.एफ.-174

परिक्षेत्र-इटारसी)

01	<p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का बयौरा दिया जावे।</p>	<p>प्रस्तावित वन कक्ष पी.एफ. 174 में 02 ऊर्जावन (ऊर्जावन पार्ट-1 एवं पार्ट-2) वर्ष 2018-19 में स्थापित किया गया थे जिसमें कुल राशि रु 9.00 लाख (नौ लाख) का व्यय अब तक हो चुका है। अतः उक्त राशि आवेदक विभाग द्वारा केम्पा मद में जमा कराने की शर्त पर उक्त व्यपवर्तन हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।</p>
----	---	--

दिनांक :- 14.01.2021

स्थान :- होशंगाबाद


(लालजी मिश्रा)
वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद